भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2914
05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

हिमाचल प्रदेश में ओएनओआरसी

2914. सुश्री कंगना रनौत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौसमी प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और कमजोर स्थिति वाले अन्य लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न अधिकारों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) पहल के कार्यान्वयन का कोई स्वतंत्र परिणाम मूल्यांकन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे मूल्यांकन में उक्त राज्य के ग्रामीण, दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमाणीकरण सफलता दरों, लेन-देन विफलता, पोर्टेबिलिटी उपयोग, शिकायत निवारण तंत्र और लाभार्थी संतुष्टि की जांच की गई है और यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;
(ग) क्या सरकार का इस तरह के मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर भौगोलिक रूप से कठिन और पहाड़ी राज्यों के लिए ओएनओआरसी के कार्यान्वयन ढांचे को मजबूत करने या संशोधित करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): हिमाचल प्रदेश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) पहल के कार्यान्वयन के परिणामों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन सरकार द्वारा नहीं कराया गया है, ताकि विशेष रूप से मौसमी प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों तथा अन्य कमजोर लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। तथापि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन के आकलन हेतु समवर्ती मूल्यांकन कराया गया। इस आकलन के परिणाम राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर उपलब्ध हैं।

...2/-

हिमाचल प्रदेश राज्य, सेवा प्रदायगी तथा शिकायत निवारण एवं सुशासन के क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन करता है, जिसे प्रभावी खाद्यान्न वितरण प्रणाली, सतर्कता समितियों के प्रति उच्च जागरूकता तथा सक्रिय निगरानी तंत्र का समर्थन प्राप्त है, जबकि डिजिटल समावेशन में राज्य का प्रदर्शन मध्यम स्तर का है। समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार, ओएनओआरसी से संबंधित विभिन्न सेवा वितरण संकेतकों के संबंध में अनुमानित प्रतिशत **अनुबंध-I** में दिया गया है।

सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) **ई-पीओएस उपकरणों की ऑफलाइन कार्यक्षमता:** उचित दर दुकानों पर स्थापित ई-पीओएस उपकरणों को ऑफलाइन लेन-देन की सुविधा से युक्त किया गया है, जिससे सीमित अथवा बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी खाद्यान्नों का प्रामाणिक वितरण जारी रह सकता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध होते ही ऐसे उपकरण रिकॉर्ड किए गए लेनदेन को केंद्रीय पीडीएस प्रणाली के साथ सिंक्रनाइज़ कर देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कनेक्टिविटी की कमी के कारण किसी भी पात्र लाभार्थी को उसकी पात्रता से वंचित न किया जाए।

(ii) **प्रमाणीकरण के बहुविध माध्यम:** दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः उत्पन्न होने वाली बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विभाग द्वारा आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण, आईरिस स्कैन तथा फ्यूजन फिंगर सहित वैकल्पिक प्रमाणीकरण पद्धतियों का प्रावधान किया गया है, साथ ही, नामित व्यक्ति (नॉमिनी) की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहें।

(iii) **स्मार्ट-पीडीएस का कार्यान्वयन:** राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला तथा शिकायत निवारण मॉड्यूलों को समाहित करने वाली स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहल का विस्तार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक किया जा रहा है।

(iv) **सुदृढ़ शिकायत निवारण व्यवस्था:** भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम राज्यों के लाभार्थी अपनी भाषा में पोर्टेबिलिटी अथवा खाद्यान्न पात्रता से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना देने तथा उसके निवारण की प्रगति का पता लगाने के लिए अन्न सहायता एआई-सक्षम व्हाट्सऐप/आईवीआरएस शिकायत प्रणाली, सार्वभौमिक 1967/1800-श्रृंखला की टोल-फ्री हेल्पलाइन तथा मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं।

(v) **यथोचित लक्ष्यीकरण:** लाभार्थी डेटाबेस को सटीक एवं अद्यतन बनाए रखने के लिए डेटा-आधारित यथोचित लक्ष्यीकरण की कवायद की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ओएनओआरसी पोर्टेबिलिटी की सुविधा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वास्तविक एनएफएसए परिवारों तक पहुँच सके।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2914 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	सर्वेक्षण के अनुसार संकेतकों का अनुमानित प्रतिशत	राज्य
1.	ओएनओआरसी लेन-देन हेतु सक्षम उचित दर दुकानें	72.3
2.	ओएनओआरसी सेवाओं का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन कर रही उचित दर दुकानें	27.3
3.	ओएनओआरसी पोर्टेबिलिटी सेवाओं से अवगत लाभार्थी	19.2
